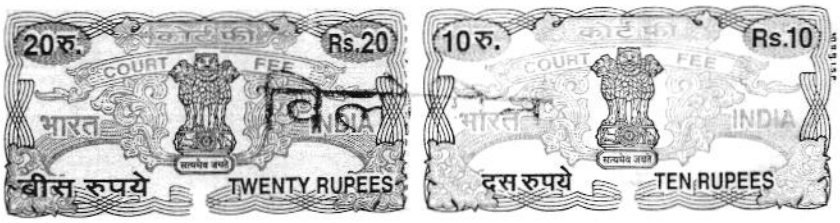

343

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क्र0 निगरानी —एक / 16 निग॰ 2287 -I/16

श्री .... द्वारा आज दि. 4/7/16 को प्रस्तुत

1– रामस्वरूप

2-- बालाराम पुत्रगंण श्री मोतीलाल यादव

निवासी बुडेरा तहसील व जिला

टीकमगढ म0 प्र0

——— आवेदकगंण

विरूद्ध

1– महिला रामकुंवर वेवा रामचरन रैकवार

2-- रामेश्वर तनय रघुवीर (नाबालिग)

संरक्षक निज दादी रामकुंवर

3– राजू तनय रामचरन रैकवार

निवासीगंण पुरानी टेहरी, मजरा

——— अनावेदकगंण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.08.2002 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ प्र0क0 162 / निग0 / 2001–02 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननींय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.- 2227-एक/2016 जिला-टीकमगढ़

रामस्वरूप व अन्य विरूद्ध महिला रामकुंवर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के क्रमांक 162/निग./2001-02 में पारित आदेश दिनांक 06-08-2002 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-07-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही	

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 09/01/19
सदस्य